मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 607
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बरेली में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहल

607. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बरेली में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बरेली में सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम द्वारा की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बरेली में यातायात जाम और प्रदूषण की समस्या के समाधान करने के लिए क्या कार्य योजना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): जल राज्य का विषय है। इसके अलावा, संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, घरेलू उद्देश्य के लिए जल आपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकायों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को लागू कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में लॉन्च किया गया था। अमृत के तहत, बरेली शहर ने 286.95 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें 19.47

करोड़ रुपये की 2 जलापूर्ति परियोजनाएँ शामिल हैं। बरेली में अमृत मिशन के तहत 17,710 नल कनेक्शन दिए गए हैं।

01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। अमृत 2.0 के तहत अब तक बरेली जिले में 278.09 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 2.04 लाख नए/सर्विस नल कनेक्शन को कवर करने वाली 251.29 करोड़ रुपये की 8 जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, शहरी परिवहन, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/राज्य के विषय हैं और बरेली सहित शहरी क्षेत्रों में सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात और प्रदूषण संबंधी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यूएलबी/राज्य सरकारों की है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बरेली नगर निगम ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और यातायात भीड़भाड़ को कम करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

- कुशल अपशिष्ट संग्रहण: दो निजी एजेंसियों के माध्यम से घरों से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर (डी2डी) संग्रहण, जिसकी निगरानी एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित सक्षम वाहनों के माध्यम से की जाती है।
- अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना:
    - शुष्क अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) और 40 मिनी एमआरएफ केंद्र।
    - विकेन्द्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 33 सामुदायिक कम्पोस्टर्स और 5 जैविक अपशिष्ट कम्पोस्टिंग (ओडब्ल्यूसी) मशीनें, एक केन्द्रीकृत कम्पोस्ट प्रसंस्करण इकाई द्वारा अनुपूरित।
    - पुराने अपशिष्ट निपटान के लिए पारंपरिक जैव-उपचार विधियाँ।
- दृश्य स्वच्छता - 30 नगरपालिका वार्डों में सफाई और झाड़ू लगाने का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपा गया है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगभग 50 किलोमीटर (किमी) प्रमुख सड़कों की सफाई करती हैं, जिन्हें सुपर सकर, हैवी टिपर और स्किड लोडर जैसे नए खरीदे गए उपकरणों की मदद से साफ किया जाता है।

- बरेली स्मार्ट सिटी ने मौजूदा सड़कों का पुनर्विकास किया, जिसके तहत जंक्शनों को फिर से डिजाइन किया गया और सड़कों को चौड़ा किया गया, जिसमें पैदल यात्री और जल निकासी व्यवस्था शामिल है। बरेली स्मार्ट सिटी ने आईसीसीसी परियोजना को लागू किया, जिसके तहत यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 21 जंक्शनों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) स्थापित किया गया है और शहर में प्रदूषण की निगरानी के लिए 3 पर्यावरण सेंसर लगाए गए हैं।

भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। अमृत के अंतर्गत, वृक्षारोपण के माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बरेली शहर में 6.16 करोड़ रुपये की लागत से 6 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****